

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

--अधिसूचना--

संचिका संख्या :-06/अ0-03-03/2024 2892

पटना, दिनांक- 28/07/26

श्रीमती ज्योति कुमारी, राज्य-कर सहायक आयुक्त (66वीं बैच), सारण अंचल-2, छपरा को उनकी प्रथम संतान की बीमारी की दशा में उसकी देखभाल एवं पालन-पोषण हेतु बिहार सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-640, दिनांक-19.01.2015 के अनुसार बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014 के नियम 220A के तहत दिनांक-28.07.2026 से 02.01.2027 तक कुल 159 (एक सौ उनसठ) दिनों का शिशु-देखभाल छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. पूर्व में श्रीमती ज्योति कुमारी को विभागीय अधिसूचना संख्या-4678 दिनांक-09.12.2025 द्वारा दिनांक-24.12.2025 से 26.06.2026 तक कुल 185 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-06/अ0-03-03/2024 2892

पटना, दिनांक- 28/07/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सारण, छपरा/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), हाजीपुर अंचल, हाजीपुर/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), सारण अंचल-2, छपरा/नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती ज्योति कुमारी, राज्य-कर सहायक आयुक्त (66वीं बैच), सारण अंचल-2, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।